

राजस्थान सरकार
उद्योग(ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक एफ 1(2)उद्योग/ग्रुप-2/2008

जयपुर, दिनांक :

11 APR 2019

—: अधिसूचना :—

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 27) के अध्याय 5 (1) के अन्तर्गत उक्त नियमों के परिपेक्ष्य में राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. एमएसएमई सुविधा परिषद के गठन हेतु प्रस्तावित पद उद्योग विभाग की वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ से ही भरे जायेंगे।
2. एमएसएमई सुविधा परिषद में मनोनीत सदस्यों की सीटिंग फीस 1500/- रु प्रति बैठक हेतु मानदेय निर्धारित किया जाता है।
3. सुविधा परिषद के समक्ष प्राप्त होने वाले विलंबित भुगतान के रेफरेंस के लिए प्रति रेफरेंस निम्नानुसार फीस की वसूली आवेदनकर्ता उद्यम से की जायेगी:-

क्र.सं.	रेफरेंस में दावे की राशि	शुल्क प्रति रेफरेंस
1	10 लाख रुपये तक का विलंबित (मूल+ब्याज) भुगतान दावा	550/- रु
2	10 लाख से अधिक का विलंबित (मूल+ब्याज) भुगतान दावा	2000/- रु
3	विलंबित भुगतान पर केवल ब्याज दावों के रेफरेंस (प्रति रेफरेंस)	5000/- रु

सुविधा परिषद में आवेदन शुल्क का गुणावगुण आधार पर निर्धारण प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्धारण किया जा सकेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 101900032 दिनांक 31.01.2019 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त/आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई।
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, मुद्रण एवं स्टेशनरी राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कराने की कृपा करावें।
7. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, उद्योग विभाग, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, पीपीसी विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव